न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 23 / 18 दायर दिनांकः 15.02.2018

जीसीएमएस नं. 2018 / 00048

उनवान

बाबूलाल बनाम राममूर्ति वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व
सिलसिले दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ताः—

1 श्री सुशील पाण्डेय ——प्रार्थी / प्रति.सं. 7 लगा. 11

2 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——अप्रार्थी / वादी

निर्णय दिनांक 08/05/2026

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 11) द्वारा जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व सिलसिले प्रार्थना पत्र 53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1883 वाके ग्राम भुसावर कृषि भूमि न होकर आबादी लैण्ड है और आबादी भूमि हेतु वाद न्यायालय श्रीमान मे पेश किया जाना विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त आराजी आबादी भूमि होने के कारण न्यायालय को वादपत्र के श्रवण करने के अधिकार प्राप्त नहीं है एवं वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 के विरूद्ध वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है।

विवादित जायदाद खसरा नंबर 1883 आबादी लैण्ड के बाबत सिविल न्यायालय में दावा संख्या 168 / 2010 उनवान चतुर्भुज बनाम बाबूलाल आदि अपीलेट कोर्ट एडीजे वैर में दिनांक 17.04.2025 को निर्णित हो चुका है। ऐसी सूरत में वादी रेसजूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण दावा धारा 11 जा.दी. के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 11) द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है। अतः वाद खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

हमने अप्रार्थी (वादी) अधिवक्ता को नकल प्रार्थना पत्र दिलाई गई। उनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 11) द्वारा न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वैर के उनवानी मुकदमा चतुर्भज बनाम बाबूलाल के निर्णय दिनांक 12.08.2015 की प्रमाणित एवं अपील उनवान बाबूलाल वगै. बनाम राकेश वगै. न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश, वैर के निर्णय दिनांक 17.04.2025 की प्रमाणित प्रति पेश की गई।

उक्त के आधार पर पाया कि चतुर्भज वगै. द्वारा उक्त आराजी में से 391 वर्गगज भूमि का रूपान्तरण दिनांक 11.11.1988 को उपखण्ड अधिकारी, बयाना के यहां से कराया। इस बाबत नगरपालिका भुसावर से दिनांक 09.12.1988 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अवगत कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

न्यायालय श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वैर के उनवानी मुकदमा चतुर्भज बनाम बाबूलाल के निर्णय दिनांक 12.08.2015 में आराजी खसरा नंबर 1883 रकबा 01 बीघा वाके ग्राम कस्बा भुसावर को गैरमुमकिन आबादी माना गया है तथा प्रतिवादीगण बाबूलाल वगै. को स्टे से पाबन्द किया गया।

इस निर्णय दिनांक 12.08.2015 की अपील उनवान बाबूलाल वगै. बनाम राकेश वगै. न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश, वैर में की गई, जो दिनांक 17.04.2025 को खारिज की गई तथा दिनांक 12.08.2015 का निर्णय पुष्ट किया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दावे का भली भांति अध्ययन किया गया।

उक्तानुसार पाया गया कि अप्रार्थी (वादी) को उक्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया, जो विधि द्वारा पूरी तरह से वर्जित होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 11) अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा.दी. व सिलसिले दावा डिवीजन ऑफ होल्डिंग व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)